(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Constitution of Paiyavaran Vahinis**

2253. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of PARYAVARAN VAHINIS which have been formed in Andhra Padesh so far;

(b) what are the details thereof; and

(c) whether any assessment has been made of their functioning in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Six Paryavaran Va-hinis have been formed in Andhra Pradesh so far in the followng districts;

(i) Visakhapatnam

(ii) Khammam

(iii) Krishna

(iv) East Godavari

(v) West Godavari

(vi) Karimnagar

(c) The District Collectors have been requested to submit reports about works undertaken by Paryavaran Vahinis to facilitate assessment of their performance,

**प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) जारी किया जाना**

2254. श्री अजीत जोगी :
श्री राधा किशन मालवीय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्य-सरकारों ने पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों को अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट केडिया परिवार द्वारा संचालित मद्य-निर्माणशाला (डिस्टलरी) द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध आस-पास के ग्रामीणों, व्यक्तियों और अन्य संगठनों द्वारा मंत्रालय और अन्य अधिकारियों को कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी उक्त मद्य-निर्माणशाला (डिस्टलरी) अभी भी वहां विद्यमान है ; और

(ड.) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ड.) केडिया मद्य-निर्माणशाला सहित मध्य प्रदेश की सभी मद्य-निर्माणशालाओं को निदेश दिए गए हैं कि वे अनुषंगी शोधन सुविधा के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें क्योंकि उनमें से किसी ने भी ऐसी सुविधा को नहीं लगाया है ।